Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 20-July-2018 **TIME : 06:30 pm**

मुख्य परीक्षा

प्रश्न- दल-बदल विरोधी कानून को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

(150 शब्द, 10 अंक)

Explaining Anti-defection Law, discuss its major provisions.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- भारतीय संविधान में 52वाँ संविधान संशोधन, 1985 के द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया तथा संविधान में एक नई अनुसूची (10वीं अनुसूची) शामिल किया गया, जिसे सामान्यत: दल-बदल कानून कहते हैं।

बाद में 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया, जिसमें विभाजन के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्य नहीं मानी जाएगी।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

कोई सांसद अथवा विधायक अपने सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया जाएगा, यदि-

- जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ है, उस दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दें।
- दल के द्वारा निर्देश दिए जाने पर भी मतदान में भाग न लेना (व्हिप के संदर्भ में)।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाए।
- यदि कोई मनोनीत सदस्य छ: माह के बाद दल परिवर्तन कर दें।
- दल-बदल विरोधी अधिनियम लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर लागू नहीं होता।
- दल-बदल विरोधी अधिनियम पर लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति निर्णय लेता है, जिसके निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

GS World Committed To Excellence